भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 731250

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

यह न्यास विलेख श्री राकेश कुमार कश्यप पुत्र अगीर सिंह निवासी ग्राम व पो० व तहसील व परगना निघासन जिला खीरी अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी

एवं श्रीमती मीनाक्षी कश्यप पुत्री स्व० प्रेम सिंह कुशान निवासी ग्राम व पो० व तहसील व परगना निघासन जिला खीरी सचिव/कोषाध्यक्ष ट्रस्ट

द्वारा निम्न प्रकार निष्पादित किया जाता है।

चूंकि दाता की इच्छा है कि छात्र/छात्राओं के शिक्षण, शैक्षिक, व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ किसी उत्तम स्थान पर विद्यालय, महाविद्यालय प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति को न्यास पर व्यवस्थित करें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 731251

ट्रस्ट का नाम	—	एबलान पब्लिक एजूकेशन ट्रस्ट
ट्रस्ट का कार्यालय	—	सिंगाही रोड, ग्राम व पो० व परगना व तहसील निघासन जिला–खीरी।
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	—	सम्पूर्ण भारतवर्ष व देश विदेश

ट्रस्ट के उद्देश्य–

यह कि दाता इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति न्यास के पक्ष में हस्तान्तरित, अन्तरित और अनुदत्त करता है कि वह उसके नीचे वर्णित न्यास के उद्देश्यों के लिए धारण और धारित करे। ट्रस्ट के द्वारा उसका विनियोग दाता के निर्देशों के अनुसार उक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित और पूरित करने के लिये किया जाए और एतद् द्वारा सर्वदाकाल के लिए इस विलेख में वर्णित उक्त सम्पत्ति में (आज दिन पश्चात न्यास की विषय वस्तु कहा जायेगा) अपने हित तथा उनके प्रति किसी दावा का त्याग करता है।

1– शैक्षिक, व्यवसायिक, चिकित्सीय, मनोचिकित्सीय विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थाएं एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलना, उनका संचालन करना तथा चालू रखना।

2– चरित्रवान एवं शुद्ध आचरण वाले अध्यापकों, शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करना जो छात्रों, विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय, गवेषणा कार्य, बौद्धिक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दक्ष तथा आधुनिकतम् शिक्षण देने के योग्य हों।

3– विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ और समालोचन मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।

4– विद्यार्थियों तथा उक्त संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के लिए छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलाना।

5– न्यास की विषयवस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्यय, अन्तरण या अन्य लेन–देन करना जैसा कि न्यासीगण ठीक समझें ताकि न्यास के उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित कर सकें।

6– दान, अनुदान, उपहार तथा अन्य भेटों को स्वीकार करना तथा उन्हें न्यास के प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाना।

7– इस विलेख के अधीन संस्थापित एवं स्थापित किये जाने वाले संस्थाओं के संधारण और देखरेख में होने वाले व्यय तथा अन्य परिव्ययों की पूर्ति के लिए उचित शिक्षा शुल्क लेना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 HUNDRED RUPEES

16 APR 2013

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 731252

8– शिष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और संस्कारित करना कि वे शिष्ट और सम्मान जीवन पथ अपनाने के लिए आत्मनिर्भर हो सकें और अच्छे और स्वस्थ प्रगतिशील नागरिक बन सकें।

9– ट्रस्ट को शिक्षण संस्थायें, शोध केन्द्र, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग, टेक्निकल प्रबन्धन कालेज, डेन्टल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मेसी संस्थायें, पैरामेडिकल कालेज एवं अन्य उच्च समस्त प्रकार की शिक्षा संस्थाये आदि को संस्थान के नियमानुसार स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार होगा।

10– ट्रस्ट को हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी क्लीनिक, डायग्नोस्टिक रिसर्च सेन्टर, योग एवं आयुर्वेदिक सेन्टर आदि जो न्यास निर्णय ले, स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार होगा।

11– ट्रस्ट को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार मिशन द्वारा स्वीकृत योजना को जनहित में संचालित करने का अधिकार होगा।

12– ट्रस्ट द्वारा सेमिनार, कान्फ्रेन्स प्रदर्शन आदि के द्वारा पीड़ित मरीजों को सहयोग एवं सलाह देना।

13– ट्रस्ट द्वारा ग्रामोद्योग की स्थापना कर उ0प्र0 व भारत सरकार के सहयोग से संचालित करना।

14– ट्रस्ट द्वारा जनहित के कार्यों हेतु ऐसा कार्य करना जो ट्रस्टीगण निर्णय लें।

15– ट्रस्ट को भारत सरकार, राज्य सरकार, सांसदों विधायकों स्थानीय निकायों आदि के निधियों के सहयोग से विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा।

16– न्यासीगण संस्था की अनुशंसा पर ऐसी वृत्तियाँ और छात्रवृत्तियां ऐसे निबन्धनों पर जैसे कि वह उचित समझी दे सकेगा जो कि न्यास की विषय वस्तु की आय के सामानुपातिक हो।

17– किसी न्यासी की मृत्यु/अक्षमता के कारण उसका उत्तराधिकारी न्यासी मण्डल में होने वाली रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यह व्यवस्था सदस्यों हेतु नहीं होगी।

18– न्यास के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय तत्समय का कार्यकारी न्यासियों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

19– न्यासीगण न्यास की विषयवस्तु के निकाय में से या उसके किसी भाग के विक्रय के आगम में से ऐसी धनराशि जैसे कि न्यासियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत की जाए, भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूंजीगत व्यय करने के लिए खर्च कर सकेंगे।

20– न्यास समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम व भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अधीन नियमित निकाय है जो उसके नियमों और उपनियमों द्वारा अधिशासित होगा।

R. Kashyap Kashyap

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 HUNDRED RUPEES

1 APR 2013

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 731253

21– न्यास न्यासियों के शुल्क, अनुदान, उपहार, दान तथा अन्य धनराशियों का जो उसे प्राप्त होंगी लेखा देगी और किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में न्यासियों के निर्देश का पालन करेगी।

22– जब तक न्यासकर्ता जीवित रहे और इस मामले में काम करने के योग्य रहे तब तक वह न्यासियों में एक न्यासी रहेगा और न्यासियों तथा न्यास की समस्त बैठकों का सभापतित्व करने का अधिकारी होगा उसका निर्णय मत भी होगा। न्यासकर्ता/मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में न्यास की बैठकों में सभापतित्व करने का अधिकार सचिव/कोषाध्यक्ष को होगा।

23– ट्रस्ट के सम्पत्ति को क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को देने का अधिकार होगा। यह कि अध्यक्ष एवं सचिव/कोषाध्यक्ष को यह अधिकार इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्रदत्त किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की वर्तमान व भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से या एकल हस्ताक्षर से मूल विक्रय विलेख आदि बैंक में रखकर बंधक (Morgtage) कर सकेंगे।

24– ट्रस्ट को अपनी संस्थाओं को संचालित करने के लिये बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों, अन्य संस्थाओं, समितियों, व्यक्तियों तथा प्राइवेट कम्पनियों से ऋण एवं बैंक गारन्टी लेने का अधिकार होगा। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि बी०एम०एस०, एम०बी०बी०एस, फार्मेसी व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण, भवन निर्माण व अन्य उपकरण हेतु बैंक गारन्टी आवश्यतानुसार समय–समय प्राप्त कर सकेंगे। ट्रस्टीगण ऋण एवं बैंक गारन्टी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त कर सकेंगे।

25– ट्रस्ट की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों के 1/3 संख्या की मांग पर किसी भी समय आहूत करने का अधिकार होगा।

26– यदि कोई समिति (संस्था) ट्रस्ट में विलय होना चाहे तो ट्रस्ट को पूर्ण अधिकार होगा कि वह संस्था को अपने विलय कर ले।

27– न्यास के न्यासीगण ट्रस्ट का प्रबन्ध करेंगे इसके अतिरिक्त न्यास की सहमति से बाहरी व्यक्ति जो न्यास के हित में हो को रु० 51000/– से आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा।

28– न्यासी बोर्ड में अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों का चयन न्यासीगण के द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

29– ट्रस्ट के राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने पर बैंक के सिक्योरिटी दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों पर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव संयुक्त या एकल रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

R. Kashyap

P. Kashyap

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 731254

30– ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति ट्रस्टीगणों के दान द्वारा या ट्रस्ट के आजीवन सदस्यों व अन्य सदस्यों व समाजसेवियों द्वारा दान से प्राप्त (acquire) होगी एवं क्रय भी की जा सकती है व पट्टे पर भी ली जा सकती है तथा अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के हित में विक्रय भी की जा सकेगी। उपरोक्त समस्त विलेखों पर अध्यक्ष को हस्ताक्षर कर विलेखों के निष्पादन का अधिकार होगा।

31– ट्रस्ट मानव समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना, कृषि कार्य करना, शिक्षण संस्थान संस्थापित करना।

32– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग–अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग अलग कमेटी गठित करके संचालित करना। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप न कार्य करने की दशा में उक्त कमेटी को भंग कर सकता है। किसी भी समिति अथवा निजी प्रबन्धन द्वारा संचालित अथवा नियंत्रणाधीन विद्यालय, अस्पताल, कालेज या संस्थान को ट्रस्ट के अधीन अंगीकृत करना तथा सम्पत्तियों अथवा निजी प्रबन्धन द्वारा संचालित संस्थाओं का ट्रस्ट द्वारा अंगीकरण किया जायेगा वे पंजीकृत समितियां या निजी समितियां स्वतः निष्क्रिय हो जायेंगी और ट्रस्ट में विलीन मानी जायेंगी। उपरोक्त संस्थाओं के सम्बद्धता की समस्त प्रकार की कार्यवाही ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

33– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट की अपनी सेवाएं फ्रेन्चाइजी के रूप में भी प्रदान करने का अधिकारी होगा।

ट्रस्ट धन का विनियोग–

1– ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान के अनुसार किया जायेगा।

2– उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना, सहायता लेना व देना व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेचना निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर लेना व देना, बैंक व्यवहार व अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।

3– ट्रस्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से दान व चन्दा, क्रय–विक्रय एवं विनिमय पट्टे किराये पर या अन्य किसी प्रकार के भूखण्ड, भवन या कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना या उससे व्यवसाय करना, विक्रय प्रबन्ध, हस्तान्तरण, दृष्टिबन्धक किसी भी भांति निपटाना या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग में लेना।

4– मुख्य ट्रस्टी द्वारा इस ट्रस्ट में इस समय धनराशि रू0 25000/– निहित की जाती है।

ट्रस्ट मण्डल–

1– ट्रस्ट का स्थायी बोर्ड होगा जिसमें सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 2 से कम और 5 से अधिक न होगी उन्हीं स्थायी सदस्यों में से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ट्रस्ट में अस्थायी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 731255

सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति से एक वर्ष का होगा, परन्तु उनकी पुनः नियुक्ति भी सम्भव होगी।

2- ट्रस्ट की स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ही की जा सकेगी। अध्यक्ष / मुख्य न्यासी एवं सचिव जीवनपर्यन्त पद पर रहेंगे।

3- स्थायी न्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके स्थान पर पुनः नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ही की जा सकेगी। किसी भी स्थायी सदस्य को हटाने का निर्णय ट्रस्ट मण्डल के बहुमत से होगा।

4- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी सरकारी, गैर सरकारी अथवा वित्तीय संस्थान या बैंक से सहायता या ऋण लेने की दशा में ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा वह जिसको नामित करें वह सचिव के साथ संयुक्त रूप से समस्त दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा।

5- ट्रस्ट के मण्डल में कोई भी पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो वह अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति से ही भरा जायेगा।

6- ट्रस्ट मण्डल के मध्य अनिर्णय या किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है जो अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

7- ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिए गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के सचिव के द्वारा ही किया जायेगा।

8- किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का विशेषाधिकार होगा। अस्थायी ट्रस्टियों की भूमिका मात्र परामर्श देने की रहेगी तथा उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

9- ट्रस्ट के विधिक कार्यों की देखरेख के लिए अधिवक्ता नियुक्त रहेगा।

10- ट्रस्ट के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव का कार्यकाल आजीवन होगा। अध्यक्ष की मरणोपरान्त सचिव / कोषाध्यक्ष अध्यक्ष के पद का निर्वहन करेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव / कोषाध्यक्ष दोनों के मरणोपरान्त ट्रस्ट के अध्यक्ष के पद पर वर्तमान अध्यक्ष का पुत्र नामित होगा। यदि उस समय पुत्र अवयस्क हो तो वयस्कता प्राप्त होने की आयु तक अध्यक्ष की बड़ी पुत्री अध्यक्ष नामित होगी पुत्र के वयस्क होने पर उक्त पुत्री का नामित अध्यक्ष पद स्वतः समाप्त माना जावेगा।

11- **निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर ट्रस्ट का पद रिक्त माना जायेगा।**

अ- त्याग पत्र देने एवं अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने पर।

ब- नैतिक पतन से सम्बद्ध अपराध में सजा हो जाने पर।

स- मन एवं बुद्धि अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर।

द- दिवालिया घोषित होने पर।

R. Kashyap

Kashyap

(2-A) 1-D

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

16 APR 2013

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 731256

घ- मृत्यु हो जाने पर।

ट्रस्ट के निम्नलिखित पदाधिकारीगण एवं स्थायी सदस्य ट्रस्ट मण्डल में होंगे। स्थायी सदस्यों ने ट्रस्ट हित में कार्यकरने हेतु सहमति प्रदान कर दी है।

ट्रस्टीगणों का विवरण-

क्र० सं०	नाम व पता	आयु	पद
1	श्री राकेश कुमार कश्यप पुत्र अमीर सिंह निवासी ग्रा० व पो० व तहसील व परगना निघासन जिला-खीरी।	53	अध्यक्ष / मुख्य न्यासी
2	श्रीमती मीनाक्षी कश्यप पुत्री स्व० प्रेम सिंह कुशान निवासी ग्रा० व पो० व तहसील व परगना निघासन जिला खीरी।	48	सचिव / कोषाध्यक्ष
3	श्रीमती संतोष बाला पत्नी स्व० जगपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट जटबहादरपुर जिला-हरिद्वार।	62	सदस्य
4	श्री ओमपाल सिंह पुत्र स्व० धीरू सिंह हनुमान मन्दिर कालोनी वीरभद्र ऋषिकेश (उत्तराखण्ड)	56	सदस्य
5	श्री अभिमन्यु कुकरेती पुत्र श्री नरायन स्वरूप कुकरेती निवासी ओगल भजरा व पोस्ट क्लेमेंट टाउन देहरादून (उत्तराखण्ड)	27	सदस्य

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

1- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी कर्मचारी/सदस्य मैनेजमेन्ट कमेटी की वैतनिक, अवैतनिक नियुक्ति/पदच्युत करना।

2- ट्रस्ट की नीतियों का निर्धारण करना।

3- ट्रस्ट की वार्षिक बजट की स्वीकृति देना।

4- लेखा पुस्तकों, आय-व्यय, खाता चिट्ठा एवं आडिटर की रिपोर्ट विचार व स्वीकृति देना एवं अगले साल के लिये आडिटर की नियुक्ति करना।

K. Kashyap

M. Kashyap

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

16 APR 2019

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 731257

5– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं हेतु उनकी सम्पत्तियों पर ऋण का लेन देन करना रहन रखना, पट्टा लेना व देना चल व अचल सम्पत्तियों का क्रय विक्रय निर्माण आदि करना या करवाना।

6– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये देश–विदेश से सहायता लेना व देना।

7– ट्रस्ट की बैठकें आयोजित करना या कराना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

8– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ट्रस्ट का सदस्य बनाना।

9– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये गये सभी प्रकार के व्यय को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

10– ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– अध्यक्ष के परामर्श से ट्रस्ट मण्डल की बैठक आयोजित करना।

2– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पत्र व्यवहार करना।

3– वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

4– लेखा पुस्तकें तैयार करना व कराना।

5– ट्रस्ट की सभी गतिविधियों से ट्रस्ट मण्डल को अवगत कराना।

6– ट्रस्ट के उद्देश्यों की लिए धन संग्रह करना।

7– ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना।

8– ट्रस्ट के पक्ष में अपने हस्ताक्षर से ट्रस्ट हित में जमीन, जायदाद, खरीदना, विक्रय करना, बंधक रखना, बैंक से लोन क्रेडिट कार्ड बनवाना, बैंक डिपाजिट करना।

9– ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियुक्त अधिवक्ता को मामले देखने एवं निस्तारण कराने के लिये निर्देशित करना।

10– अन्य सभी कार्य जो ट्रस्ट मण्डल द्वारा सौंपे जायें।

11– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उनकी स्थापना करना एवं अलग अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग अलग कमेटी गठित करके संचालित करना। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप न कार्य करने की दशा में उक्त कमेटी को भंग कर सकता है।

R.kashyap

Kashyap

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 731258

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– ट्रस्ट के द्वारा अर्जित किये गये आय एवं व्यय का हिसाब–किताब रखना।
2– लेखा–पुस्तकों को आडिट कराना एवं ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
3– वार्षिक बजट तैयार करके ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष से स्वीकृति कराना।
4– ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये धन संग्रह करना।
5– ट्रस्ट मण्डल की सभी बैठकों में उपस्थित रहना।
6– ट्रस्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना।
7– अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें।

ट्रस्टमण्डल के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना कराने, जिसमें सामान्य एवं उच्च तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये स्थान इत्यादि को तलाश करके ट्रस्ट की सहायता करना।
2– ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को विधिपूर्वक सम्पन्न कराने में मदद करना।

ट्रस्ट की बैठक–

1– वर्ष में कम से कम एक बार ट्रस्ट की बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। इसके लिये सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना देनी होगी।
2– आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा 24 घन्टे की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

वित्तीय वर्ष–

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

ट्रस्ट कोष का संचालन = बैंक एकाउन्ट–

अध्यक्ष एवं सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के नाम पर किसी भी सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक या बैंकों में संयुक्त नाम से खाता खोला जायेगा जिसका संचालन ट्रस्ट के सचिव/कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सचिव/कोषाध्यक्ष के लम्बी अवधि तक अनुपस्थिति रहने पर ट्रस्ट मण्डल द्वारा नामित व्यक्ति कोष के खाता का संचालन अपने हस्ताक्षर से करने का अधिकारी होगा।

ट्रस्ट का समापन –

ट्रस्ट का समापन अध्यक्ष एवं सचिव/कोषाध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा। ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति अध्यक्ष के पुत्र को 60 प्रतिशत तथा दोनों पुत्रियों को क्रमशः 20 प्रतिशत व 20 प्रतिशत के अनुपात में वितरित कर दिया जायेगा।

R. Kashyap

Kashyap

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

16 APR 2013

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 731259

न्याय क्षेत्र –

किसी विवाद या अनिर्णय की स्थिति मे इस ट्रस्ट का न्याय क्षेत्र लखीमपुर–खीरी माना जायेगा।

घोषणापत्र मे संशोधन–

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपरोक्त घोषणा पत्र में समय समय पर संशोधन/परिवर्तन, परिवर्धन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मैं एतद्द्वारा साक्षीगणो की उपस्थिति मे नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस ट्रस्ट के घोषणा पत्र का निष्पादन करता हूँ।

दिनांक–01–05–2013

R. Kashyap

1–अध्यक्ष / मुख्यन्यासी

साक्षीगण–

Manish Gupta

1– Manish Gupta
S/o Shri M.C. Gupta
R/o Ghasiyari Mandi
Lakhimpur-Kheri

2– [signature]
Sudhanshu Srivastava s/o G.K. Srivastava
R/o mo. Naveenagarbad L.M.P.

[signature]

2– सचिव / कोषाध्यक्ष

मेरे द्वारा ड्राफ्ट किया गया।

[signature]

Vivek Ranjan Srivastava
Advocate
Lakhimpur - Kheri
Reg. No. 14358/10

IV G/14

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AA

पूरक विलेख(ट्रस्ट)

यह ट्रस्ट का पूरक विलेख दिनांक 13.1.2014 को श्री राकेश कुमार कश्यप पुत्र श्री अमीर सिंह निवासी ग्राम व पो0 व तहसील निघासन जिला खीरी मुख्य ट्रस्टी एवं श्रीमती मीनाक्षी कश्यप पुत्री स्व0 प्रेम सिंह कुशान निवासी ग्राम व पो0 व तहसील निघासन जिला खीरी के द्वारा निम्न प्रकार निष्पादित किया गया है ।

1– यह कि उपरोक्त मुख्य ट्रस्टी एवं सचिव/कोषाध्यक्ष ट्रस्टी ने एक ट्रस्ट डीड दिनांक 1.5.2013 को निष्पादित कर कार्यालय उपनिबन्धक लखीमपुर जिला खीरी (उ0प्र0) में पंजीकृत कराया था जिसकी रजिस्ट्री बही सं0 4 जिल्द सं0 53 पृष्ठ सं0 375 से 394 क्रमांक 36 पर दिनांक 1.5.2013 को हुयी थी जिसके द्वारा एबलॉन पब्लिक एजूकेशन ट्रस्ट, सिंगाही रोड, ग्राम व पो0 व परगना व तहसील निघासन जिला खीरी का निर्माण किया गया था ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AA 006513

2– यह कि उक्त ट्रस्ट डीड में वर्णित समस्त उद्देश्यो नियमो एवं शर्तो के साथ अतिरिक्त प्रतिबन्धों की बाध्यता का समावेश करना छूट गया था जिसका समावेश उक्त ट्रस्ट में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाना आवश्यक है।

3– यह कि उक्त एबलॉन पब्लिक एजूकेशन ट्रस्ट में अग्रेतर वर्णित प्रतिबन्ध ट्रस्ट का अंग माने जावेगें तथा सदा सर्वदा के लिये ट्रस्ट को स्वीकार होगें और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जावेगा । उक्त प्रतिबन्धों के समावेश हेतु ट्रस्ट बोर्ड के प्रस्ताव दिनांक 8.5.2013 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है ।

R. Kashyap

Kashyap

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AA 006514

प्रतिबन्धों की बाध्यता–

1– विद्यालय की प्रबन्ध समिति का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें ।

Rkashyap

R.Kashyap

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AA 006515

5– संस्था के शैक्षिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त समस्त प्रतिबन्धों की बाध्यता ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट का अभिन्न अंग माना, समझा व स्वीकार किया जावेगा ।

R.Kashyap

R.Kashyap

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(5)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AA 006516

अतः उभय पक्ष ने खूब सोच समझकर बिना किसी दबाव के शुद्ध चित्त व स्थिर बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ अवस्था में यह पूरक विलेख(ट्रस्ट) दो साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित कर दिया की प्रमाण रहे व समय पर काम आवे। R. Kashyap

ह० मुख्य ट्रस्टी

M Kashyap

ह० सचिव/कोषाध्यक्ष ट्रस्टी

साक्षी–1

प्रशांत शुक्ला पुत्र स्व० रविशुक्ला
सिंगही वार्ड नं.8 तहसील निघासन
जिला खीरी।

साक्षी–2

Srivastava Adv
S.K. Srivastava S/o
Late G.K. Srivastava
R/o Naurangabad C.M.P

दिनांक – 13.01.2014

यह विलेख पक्षकारों के निर्देशानुसार मेरे द्वारा ड्राफ्ट किया गया।

Ranjan

Vivek Ranjan Srivastava
Advocate
Lakhimpur - Kheri
Reg. No. 14358/10